छायाप्रति आदेश दिनांकित

न्यायालय परगनाधिकारी, धौरहरा-खीरी।

वाद सं0-5 अन्तर्गत धारा 143 ज0 वि0 अधि0

ग्राम-रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा जिला-खीरी

ब्रजपालचौधरी प्रबन्धक चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर

बनाम

गांव सभा रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा

निर्णय

प्रस्तुत वाद वादी द्वारा दिनांक-01-01-08 धारा 143 ज0 वि0 अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है। वाद पत्र में कहा गया है कि वादी गाटा संख्या 227/1 रकबा 2-232हे0 के संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार हैं तथा काबिज व दाखिल हैं। भूमि अविवादित हैकहीं बन्धक नहीं है।वादी उक्त भूमि परचौधरी बेचेलाल महाविद्यालय चलाना चाहते हैं।अतएव उक्त भूमि को अकृषिक घोषित कराने का अनुरोध चाहा गया है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार,धौरहरा से आख्या मंगाई गई। लेखपाल की आख्या दिनांक-15-12-2007 संलग्न पत्रावली है। जिसको तहसीलदार द्वारा दि0 29-01-2008 को अग्रसारित किया गया है। निर्धारित प्रारूप पर आख्या मंगाई गई नायब तहसीलदार की आख्या दिनांक-20-12-2007 को तहसीलदार,धौरहरा द्वारा दि0 29-01-2008 को हस्ताक्षरित किया गया है।

लेखपाल की आख्या दिनांक-15-12-07 में कहा गया है कि ग्राम रसूलपुर की वर्तमान खतौनी के अनुसार गाटा संख्या 227/3-347 हे0 लगान 84-90/-रु0 है से गाटा सं0-227/1म/2-232 हे0 भूमि पर चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय रसूलपुर के भाग पर विद्यालय का निर्माण है इस भाग पर कृषि कार्य नहीं किया जाता है। गाटा सं0-227/2म/1-116 हे0 पर खरीद दार की भूमि पर गन्ने व लाही की फसल खड़ी हुई पाई गई है।उक्त भूमि अविवादित है।राजस्व अभिलेखों के अनुसार बन्धक नहीं है।भूमि वर्तमान समय में विद्यालय का निर्माण है।जिसमें कृषि कार्य नहीं किया जाता है।भूमि गाटा सं0-227/1/2-232 हे0 अकृषिक घोषित करने की आख्या प्रेषित की गई है जिसको तहसीलदार, धौरहरा द्वारा अग्रसारित किया गया है।

मैंने वादी को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी सन 1410 से 1415 फ0 में खाता सं0-321 की गाटा सं0-227 रकबा 3-347 हे0 लगान 84-90/-रु0 चौधरी महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक श्री ब्रजपालचौधरी पुत्र स्व0 चौधरी बेचेलाल नि0 वैसवा मौजा बतौर सं0 भू0 काश्तकार के रूप में अंकित है।लेखपाल की आख्या अनुसार भूमि पर विद्यालय का निर्माण है।कृषि कार्य नहीं किया जाता है।तहसीलदार धौरहरा द्वारा प्रश्नगत गाटे को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की है गयी है।अतएव उक्त गाटे को अकृषिक घोषित किये जाने में

----- 2 पर

32782
13-7-22

कोई विवाद बाकी नहीं है। भूमि प्रबन्धक समिति को आपत्ति व अनापत्ति कार्यालय भारमुक्त सहित पत्रावली शामिल मिसल है।

आदेश

अतः खतौनी 1410 से 1415 फ0 अस्थायी ग्राम रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा खातेदार स्व0 चौधरी महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक की पदपाल चौधरी पुत्र स्व0 चौधरी बेचेलाल निवासी बेलवा मोती परगना व तहसील धौरहरा के नाम अंकित गाटा सं0-227/1 मि/2-232 हे0 को अकृषिक घोषित किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक धौरहरा को पृष्ठांकित करने हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0

दिनांक- 30/01/2008

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
परगनाधिकारी, धौरहरा
खीरी।

यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

ह0

दिनांक- 30/01/2008

(आशुतोष मोहन अग्निहोत्री)
परगनाधिकारी धौरहरा
खीरी।

कलेक्ट्रेट अनुभाग माल खीरी

कलेक्ट्रेट अनुभाग माल खीरी

नकल दरख्वास्त की संख्या दिनांक 32782/13-7-22
नकल तैयार 13-7-22
टिकट का मूल्य 220
लगभग शब्दों की संख्या 350

प्रतिलिपिकर्ता का नाम / हस्ताक्षर
मिलानकर्ता का नाम / हस्ताक्षर

सच्ची प्रतिलिपि

अभिलेखपाल (माल)
कलेक्ट्रेट--खीरी

छायाप्रति आदेश दिनांकित 2-11-2013

न्यायालय उपजिलाधिकारी, हाथरस-[illegible]।

वाद सं०-149

अन्तर्गत धारा 176 उ० प्र० अधि०
ग्राम-रसूलपुर परगना हाथरस

चौधरी बेलाल महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक धरपाल चौधरी

बनाम

रशीद खां आदि

आदेश

01-11-13 पत्रावली प्रस्तुत। पुकार कराई गई। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित है। वादी को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दाखिल कुराजात दिनांक-29-10-2013 संलग्न पत्रावली है उक्त कुराजातों के विरुद्ध किसी पक्ष द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। इससे स्पष्ट है कि कुराजात निर्विवाद है जिनकी पुष्टि किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा दाखिल कुराजात दिनांक 29-10-13 की पुष्टि की जाती है। कुराजात मय नजरी नक्शा आदेश का अंग रहेंगे। कुरा नं०-1 रंग लाल गाटा सं०-227/1/2-.510हे० लगान 63-65/-रु० 3/4 भाग चौधरी बेलाल महाविद्यालय द्वारा प्रबन्धक धरपाल चौधरी पुत्र स्व० बेलाल निवासी बेलबा मोती को, व कुरा नं०-2 रंग नीला गाटा सं०-227/2/-.637हे० लगान 21-25/-रु० 1/4 भाग रशीद खां पुत्र दीना खां निवासी मुरहरिया ताल्लुके पेरा परगना हाथरस को दिया जाता है। तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। वादी द्वारा आवश्यक स्टाम्प दाखिल करने के उपरान्त परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह० 2-11-13
उपजिलाधिकारी
हाथरस।

अनुभाग कलेक्ट्रेट माल

नकल रजिस्टर की क्र०सं० तथा दिनांक 32759/13-7-22
नकल तैयारी की तिथि 13-7-22
टिकट का मूल्य 70
लगभग शब्दों की संख्या

प्रतिलिपिकर्ता का नाम/हस्ताक्षर
मिलानकर्ता का नाम/हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

न्यायालय, उपजिलाधिकारी महोदय धौरहरा, जिला खीरी

वाद सं॰ 345/142

अन्तर्गत धारा 176 ज॰वि॰ अधि॰
ग्राम रसूलपुर परगना व तहसील
धौरहरा जिला-खीरी

चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय
द्वारा प्रबंधक यशपाल चौधरी
बनाम
रसीद खाँ आदि

महोदय,
ग्राम रसूलपुर परगना व तहसील धौरहरा जिला खीरी की वर्तमान खतौनी 1416-1421 फ॰ की खाता सं॰ 339 गाटा सं॰ 227 क्षे॰ 3.347 हे॰ मा॰ 84.90 रुपये पर संस्था चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय द्वारा प्रबंधक यशपाल चौधरी पुत्र स्व॰ बेचेलाल व रसीद खाँ पुत्र दीना खाँ नि॰ गुल॰ ता॰ ऐरा का नाम सहखातेदार के रूप में संक्रमणीय भूमिधर दर्ज अभिलेख है। महोदय द्वारा दिनांक 23-10-13 द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अभिलेखीय परीक्षण तथा स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कब्जे के आधार पर कुराजात तैयार किये गये हैं जो निम्न प्रकार हैं।

कुरा नं॰ 1 रंग लाल ▨ :— गाटा सं॰ 227/1 क्षेत्रफल 2.510 हे॰ मालगुजारी 63.65 रुपये 3/4 भाग वादी चौधरी बेचेलाल महाविद्यालय द्वारा प्रबंधक यशपाल चौधरी पुत्र स्व॰ बेचेलाल नि॰ बेलवामोती को दिया जाता है।

कुरा नं॰ 2 रंग नीला ▨ :— गाटा सं॰ 227/2 क्षेत्रफल 0.837 हे॰ मालगुजारी 21.25 रुपये 1/4 भाग प्रतिवादी रसीद खाँ पुत्र दीना खाँ नि॰ गुल्हरिया ताल्लुक ऐरा को दिया जाता है।

अतः उपरोक्त कुराजात अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त नियमानुसार कब्जे के आधार पर प्रारम्भिक डिक्री के पश्चात तैयार किये गये है, कुराजात आख्या नजरी नक्शा सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

K.O.F

अनुभाग कलेक्ट्रेट
माल
32759
13 ...'22

ह॰ अपठनीय
29/10/2013
(क्षेत्र॰ रसूलपुर)

ह॰ अपठनीय (...)
29/10/13